रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2000/श्रावण 4, 1922

No. 491] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2000/SRAVANA 4, 1922

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2000

का. आ. 696 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 के 68) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के निम्नलिखित सदस्यों के नाम अधिसूचित करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 392(अ), तारीख 18 अप्रैल, 2000 तथा का. आ. 450(अ), तारीख 10 मई, 2000 का निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) उपशीर्ष "नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ज) के तहत महिलाओं की प्रतिनिधियों" के अन्तर्गत क्र.सं. 110क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नांकित क्र.सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"110ख. श्रीमती रमाबेन आर. मवानी,
अध्यक्ष,
राजकोट शहर/जिला ग्राहक सुरक्षा मण्डल "रामदीप"
शान्ति निकेतन सोसायटी,
कालावड़ रोड, राजकोट, गुजरात-360005 सदस्य"

(ii) उपशीर्ष "नियम 3 के उप नियम (1) के खण्ड (ञ) के तहत उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति" के अन्तर्गत क्र. सं. 129घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नांकित क्र. संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"129ङ. श्री वेद भसीन,
अध्यक्ष,
जम्मू उपभोक्ता परिषद, जम्मू सदस्य"

[फा. सं. 2(4)/99-सी पी यू]

संतोष मैथ्यूज, अपर सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 18 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना का. आ. 392(अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसको का. आ. 450(अ), तारीख 10 मई, 2000 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2000

S.O. 696(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) read with sub-rule (1) of rule 3 of the Consumer Protection Rules, 1987, the Central Government hereby notifies the mames of the following as members of the Central Consumer Protection Council and for that purpose amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, number S.O. 392 (E), dated 18th April, 2000 and S.O. 450 (E), dated 10th May, 2000, as follows, namely :—

In the said Nótification :—

(i) uder sub-heading "Representatives of Women under clause (h) of sub-rule (1) of rule 3.", after serial number 110A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely .—

"110B. Smt, Ramaben R. Mavani, Member",
President,
Rajkot City/Distt, Grahak Suraksha Mandal,
"Ramdeep"
Shantiniketan Society,
Kalawad Road, Rajkot,
Gujarat—360005.

(ii) under sub-heading "persons capable of representing consumer interests under clause (j) of sub-rule (1) of rule 3.", after serial number 129D and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"129E. Shri Ved Bhasin, Member",
President,
Jammu Consumer Council,
Jammu.

[F. No.2(4)/99-CPU]

SANTOSH NAUTIYAL, Addl. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification S.O. 392(E), dated 18th April and amended vide S.O. 450(E), dated 10th May, 2000.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.